

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

JP(D)
DD(CNS)
[Signature]

कमांक एफ 3-35/2015/38-1
प्रति,

रायपुर, दिनांक 04/03/2017



आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय :- वर्ष 2016-17 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ करने बाबत।

संदर्भ :- आपकी टीप कमांक 440/अप.संचा/2015, दिनांक 28/5/2015

राज्य शासन एतद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम अनुपूरक बजट में शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ करने के लिए मांग संख्या 44 में निम्नलिखित 13 शासकीय महाविद्यालयों हेतु प्राध्यापक (वेतनमान 37400-67000 ए.जी.पी. 9000) के कुल में 13 पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति निम्नानुसार दी जाती है:-

क	महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापक		
		कक्षा	विषय	संख्या
1	2	3	4	5
1	शास.महात्मा गांधी कला /विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया, जिला रायगढ़	एम.एस.सी.	रसायन शास्त्र	01
2	शासकीय बीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद	एम.ए.	अर्थ शास्त्र	01
3	शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर	एम.एस.सी.	वनस्पतिशास्त्र	01
4	शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय कोन्डागांव जिला-कोन्डागांव	एम.एस.सी.	रसायन शास्त्र	01

आरक्षक कमांक
दिनांक 03.1.17

22/11/17
N.A. [Signature]
22/11/17
CI(L180)



PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
ANDARIA, DISTT. KABIRDHAM (C.G.)

5	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय किरन्दुल जिला -बन्नेवाडा	एम.एस.सी	प्राचीन ज्ञान	01
6	शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय मानूपतापपुर जिला बलकेश	एम.एस.सी	प्राचीन ज्ञान	01
7	शासकीय ई. विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा जिला -कोरबा	एम.ए	भूगोल	01
8	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजिम, जिला गरियाबंद	एम.एस.सी	भौतिकशास्त्र	01
9	शासकीय एन.ई.एस स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर	एम.ए	अंग्रेजी	01
10	शासकीय स्व.राजा विरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सरायपाली, जिला-महासमुन्द्र	एम.एस.सी	वाणिज्य	01
11	शासकीय इंदिरागांधी महाविद्यालय, पंडरिया, जिला कबीरघाम	एम.ए	हिन्दी	01
12	शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला रायपुर	एम.एस.सी	प्राचीन ज्ञान	01
13	शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलौदानाजार	एम.ए	अंग्रेजी	01
योग				13

1/ उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जवाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को ई-मेल से अथवा विशेष वाहक के हस्त सूचित करेंगे।

C:\Users\...

PRINCIPAL
INDIRA GANDHI GOVT. COLLEGE
PANDARIA, DISTT. KABIRDHAM (C.G.)

जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम का समावेश इ-तकनीकी/अथवा स्व-वित्तीय मद से किया जा रहा है उन्हें इसी सत्र 2017-18 से निर्धारित विद्यार्थी विषय/सहाय/पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समाहित किया जाएगा तथा इ-तकनीकी/अथवा-वित्तीय मदका को तत्काल बन्द किया जाएगा ।

3/ स्वीकृति जारी होने के विलंब को देखते हुए आदेशित किया जाता है कि संबंधित महाविद्यालय में उपरोक्त विषय/सहाय/को इसी सत्र 2017-18 से प्रारंभ किया जावे तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये दिनांक 31-08-2017 तक की तिथि निर्धारित की जाती ।

4/ प्रत्येक विषय में 25 सीट संख्या निर्धारित की जाती है ।

5/ यह स्वीकृति वित्त विभाग यू0ओ0 क्रमांक एफ 2016/38/00864/ब-3/चार, दिनांक 30-11-2016 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जा रही है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

सह-स्वायं-सुसंग

(दुर्गा देवगन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

रायपुर, दिनांक /03/2017

क्रमांक एफ 3-35/2015/38-1

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान.मुख्यमंत्रीजी, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर।
6. सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर उनके यू0ओ0 क्रमांक एफ 2016/38/00864/ब-3/चार, दिनांक 30-11-2016 के सदन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेक्षित ।
7. कुलपति..... विश्वविद्यालय..... को सूचनार्थ,
8. कुल सचिव,..... विश्वविद्यालय..... को आवश्यक कार्यवाही एवं संबद्धता हेतु,
9. कलेक्टर, संबधित जिला.....
10. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
11. क्षेत्रीय अपर संचालक, अम्बिकापुर/जगदलपुर/बिलासपुर।
12. संबधित जिला कोषालय अधिकारी छ0ग0.
13. संबधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, छ0ग0
11. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय